रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 698] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 12, 2015/कार्तिक 21, 1937
No. 698] NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 12, 2015/ KARTIKA 21, 1937

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 नवम्बर, 2015

सं. 23/2015-सेवा-कर

सा.का.नि. 853(अ).—वित्त अधिनियम, 2015 (2015 का 20) की धारा 119 की उप-धारा (5) के साथ पठित वित्त अधिनियम, 1994 (1994 का 32) की धारा 93 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना लोक हित में आवश्यक है, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II खंड-3, उप-खंड (i) में संख्या सा.का.नि. 843(अ), दिनांक 6 नवम्बर, 2015 द्वारा प्रकाशित, भारत सरकार वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं.22/2015-सेवाकर, दिनांक 6 नवम्बर, 2015 में एतद्वारा और आगे निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात:-

उक्त अधिसूचना में परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

"अर्थात् आगे यह कि स्वच्छ भारत उपकर मात्र उस कर योग्य मूल्य के उस प्रतिशत पर उद्ग्रहणीय होगा जो विनिर्धारित कर कॉलम (2) में विनिर्धारित सेवाओं हेतु, सा.का.नि. संख्या 468(अ), दिनांक 20 जून, 2012 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II खंड-3, उप-खंड (i) में प्रकाशित अधिसूचना सं. 26/2012-सेवा कर, दिनांक 20 जून, 2012 में तालिका के कॉलम (3) में विनिर्धारित है:

स्पष्टीकरण: स्वच्छ भारत उपकर के उद्देश्यों हेतु, कर योग्य सेवाओं का मूल्य सेवाकर (मूल्य का निर्धारण) नियमावली, 2006 के अंतर्गत यथा निर्धारित कर योग्य सेवाओं की मूल्य होगा।"

[फा. सं. 354/129/2015-टीआरयू]

के. कालीमुथु, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th November, 2015

No. 23/2015-Service-Tax

G.S.R. 853(E). —In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 93 of the Finance Act, 1994 (32 of 1994) read with sub-section (5) of section 119 of the Finance Act, 2015 (20 of 2015), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 22/2015-Service Tax, dated the 6th November, 2015, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (i) vide number G.S.R. 843 (E), dated the 6th November, 2015, namely:-

In the said notification, after the proviso, the following shall be inserted, namely:-

"Provided further that Swachh Bharat Cess shall be leviable only on that percentage of taxable value which is specified in column (3) for the specified taxable services in column (2) of the Table in the notification No. 26/2012-Service Tax, dated 20th June, 2012, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 468(E), dated the 20th June, 2012.

Explanation : It is hereby clarified that value of taxable services for the purposes of the Swachh Bharat Cess shall be the value as determined in accordance with the Service Tax (Determination of Value) Rules, 2006."

[F. No. 354/129/2015 - TRU]

K. KALIMUTHU, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 नवम्बर, 2015

सं. 24/2015-सेवा कर

सा.का.नि. 854(अ).—वित्त अधिनियम, 2015 (2015 का 20) की धारा 119 की उप-धारा (5) के साथ पठित वित्त अधिनियम, 1994 (1994 का 32) की धारा 68 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II खंड-3, उप-खंड (i) में संख्या सा.का.नि. 472 (अ), दिनांक 20 जून, 2012 द्वारा प्रकाशित, भारत सरकार वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 30/2012-सेवाकर, दिनांक 20 जून, 2012 स्वच्छ भारत उपकर के संबंध में यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होगी।

[फा. सं. 354/129/2015-टीआरयू]

के. कालीमुथु, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th November, 2015

No. 24/2015-Service Tax

G.S.R. 854(E). — In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 68 of the Finance Act, 1994 (32 of 1994) read with sub-section (5) of section 119 of the Finance Act, 2015 (20 of 2015), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby provides that notification No. 30/2012-Service Tax, dated the 20th June, 2012, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 472(E), dated the 20th June, 2012 shall be applicable for the purposes of Swachh Bharat Cess Mutatis Mutandis.

[F. No. 354/129/2015 - TRU]

K. KALIMUTHU, Under Secy

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 नवम्बर, 2015

सं. 25/2015-सेवा कर

सा.का.नि. 855(अ).—केन्द्र सरकार वित्त अधिनियम, 1994 (1994 का 32) की धारा 94 की उपधारा (2) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सेवा कर नियमावली, 1994 में संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात:-

1. (1) इन नियमों को सेवा कर (संशोधन) नियमावली, 2015 कहा जाए।

(2) ये 15 नवम्बर, 2015 से प्रवृत्त होंगे।

2. सेवा कर नियमावली, 1994 (क) नियम 6 में उप-नियम (7ग) के बाद निम्नलिखित उप-नियम अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-

"(7घ) उपनियम -(7), (7क), (7ख) या नियम 6 की (7ग) के तहत सेवा कर भुगतान के विकल्प का लाभ लेने संबंधी व्यक्ति को नियम 6 की उपनियम (7), (7क), (7ख) और (7ग) के तहत संगणित कुल सेवा कर देयता को किसी कैलेन्डर माह या तिमाही के दौरान, जैसा भी मामला हो 0.5 द्वारा गुणा करके व राशि को 14 (चौदह) के साथ भाग करके संगणित राशि का भुगतान करने का विकल्प होगा व यह इस ओर जारी सा.का.नि. संख्या 843(अ), दिनांक 06 नवम्बर, 2015 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II खंड-3, उप-खंड (i) में प्रकाशित अधिसूचना सं.22/2015- सेवा कर, दिनांक 06 नवम्बर, 2015 अधिसूचना के साथ पठित वित्त अधिनियम, 2015 के धारा 119 की उप-धारा (2) में विनिर्दिष्ट दर पर स्वच्छ भारत उपकर के भुगतान की बजाय उसकी स्वच्छ भारत उपकर देयता के निर्वहन की ओर है व एक बार प्रयोग किया गया विकल्प उपर्युक्त सेवाओं के संबंध में एकसमान लागू होगा व किसी भी परिस्थितियों में वित्त वर्ष के दौरान परिवर्तित नहीं होगा।"

3. यह अधिसूचना 15 नवम्बर, 2015 से प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. 354/129/2015-टीआरयू]

के. कालीमुथु, अवर सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना सं0 2/94-सेवा कर, तारीख 28 जून, 1994, सा.का.नि. 546 (अ), तारीख 28 जून, 1994 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग ।।, खंड 3, उपखंड (i) द्वारा प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना सं. 5/2015- सेवा कर, तारीख 1 मार्च, 2015 द्वारा, सा.का.नि. 159(अ), तारीख 1 मार्च, 2015 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण में अंतिम बार संशोधित की गई थी ।

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th November, 2015

No. 25/2015-Service Tax

G.S.R. 855(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with sub-section (2) of section 94 of the Finance Act, 1994 (32 of 1994), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Service Tax Rules, 1994, namely:-

1. (1) These rules may be called the Service Tax (Second Amendment) Rules, 2015.

(2) They shall come into force on the 15th day of November, 2015.

2. In the Service Tax Rules, 1994, in rule 6, after sub-rule (7C), the following sub-rule shall be inserted, namely:-

"(7D) The person liable for paying the service tax under sub-rule (7), (7A), (7B) or (7C) of rule 6, shall have the option to pay such amount as determined by multiplying total service tax liability calculated under sub-rule (7), (7A),

(7B) or (7C) of rule 6 by 0.5 and dividing the product by 14 (fourteen), during any calendar month or quarter, as the case may be, towards the discharge of his liability for Swachh Bharat Cess instead of paying Swachh Bharat Cess at the rate specified in sub-section (2) of section 119 of the Finance Act, 2015 (20 of 2015) read with notification No. 22/2015-Service Tax, dated the 6th November, 2015, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 843 (E), dated the 6th November, 2015, and the option under this sub-rule once exercised, shall apply uniformly in respect of such services and shall not be changed during a financial year under any circumstances."

3. This notification shall come into force from the 15th day of November, 2015.

[F. No. 354/129/2015 - TRU]

K. KALIMUTHU, Under Secy.

Note : The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) by notification No. 2/94-Service Tax, dated the 28th June, 1994 vide number G.S.R. 546(E), dated the 28th June, 1994 and last amended by notification No. 05/2015–Service Tax, dated the 1st March, 2015, published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number G.S.R. 159(E), dated the 1st March, 2015.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.